

नगर परिषद, चाईबासा का कार्यालय।

(पश्चिमी सिंहभूम)

पुनः बन्दोवस्ती सूचना

संख्या :-7/18-19

1515
14-12-18

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर परिषद, चाईबासा क्षेत्र के अन्तर्गत निर्मित शौचालय का रख-रखाव (O & M) लिये खुली डाक के द्वारा बन्दोवस्ती दिनांक 26.12.18 को नगर परिषद कार्यालय में 11.00 बजे पूर्वाहन में की जायेगी।

क्र०	वार्ड संख्या	बन्दोवस्त किये जाने वाले शौचालयों की सूची।	बन्दोवस्ती हेतु न्यूनतम निर्धारित राशि	जमानत की राशि	बन्दोवस्ती अवधि
1	1	पुलहातु ऑगनबाडी के पास सामुदायिक शौचालय का (O & M) एवं सुविधा शुल्क की वसुली	10,000 /	2500 /	1 वर्ष के लिये
2	2	महादेव कॉलोनी में सामुदायिक शौचालय का (O & M) एवं सुविधा शुल्क की वसुली	10,000 /	2500 /	1 वर्ष के लिये
3	2	श्मसान काली मंदिर के पास सामुदायिक शौचालय का (O & M) एवं सुविधा शुल्क की वसुली	10,000 /	2500 /	1 वर्ष के लिये
4	5	जोड़ा तालाब के पास सामुदायिक शौचालय का (O & M) एवं सुविधा शुल्क की वसुली	10,000 /	2500 /	1 वर्ष के लिये
5	10	छठ घाट के पास सामुदायिक शौचालय का (O & M) एवं सुविधा शुल्क की वसुली	10,000 /	2500 /	1 वर्ष के लिये
6	10	रोरो ब्रीज के नीचे सामुदायिक शौचालय का (O & M) एवं सुविधा शुल्क की वसुली	10,000 /	2500 /	1 वर्ष के लिये
7	11	थामसेन तालाब के पास सामुदायिक शौचालय का (O & M) एवं सुविधा शुल्क की वसुली	10,000 /	2500 /	1 वर्ष के लिये
8	13	Scott Guide के पास सामुदायिक शौचालय का (O & M) एवं सुविधा शुल्क की वसुली	10,000 /	2500 /	1 वर्ष के लिये
9	14	मधुबाजार संध्या गुदडी पास सामुदायिक शौचालय का (O & M) एवं सुविधा शुल्क की वसुली	10,000 /	2500 /	1 वर्ष के लिये

बन्दोवस्ती की शर्तें निम्न प्रकार हैं:-

- डाक वक्ता को निर्धारित सुरक्षित जमा की गई राशि 25 (पचीस) प्रतिशत डाक में भाग लेने हेतु अग्रधन (जमानत की राशि) के रूप में बैंकर्स चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, चाईबासा को भुगतये हेतु जमा करना होगा।

2. बन्दोवस्ती खुली डाक की पद्धति से की जायेगी।
3. डाक की बोली बोलकर डाक नहीं लेने वाले व्यक्ति की जमानत की राशि जब्त कर ली जाएगी।
4. बन्दोवस्ती की स्थिति में बन्दोवस्ती लेने वाले व्यक्ति को बन्दोवस्ती की कुल राशि का 100 प्रतिशत डाक के समय ही जमा करना होगा, अन्यथा की गई बन्दोवस्ती रद्द कर दी जायेगी।
5. अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये बन्दोवस्ती को स्थगित करने, बन्दोवस्ती की तिथि बदलने, बन्दोवस्ती रद्द करने अथवा सभी प्रकार का अधिकार सुरक्षित होगा।
6. पूर्व के बकायेदार अथवा उनके नजदीकी व्यक्ति को डाक में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा।
7. किसी कारणवश बन्दोवस्ती की निर्धारित तिथि को यदि अवकाश घोषित हो जाती है तो वैसी स्थिति में अगले दिन कार्य दिवस में बन्दोवस्ती की जायेगी।
8. बन्दोवस्ती स्थल की साफ- सफाई, रोशनी, पानी एवं सुरक्षा व्यवस्था बन्दोवस्ती को स्वयं करना होगा। ऐसा नहीं किये जाने पर बन्दोवस्ती रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
9. बन्दोवस्ती अवधि में किसी प्रकार की छुट नहीं दी जायेगी। जैसे दैनिक प्रकोप, हडताल, बन्दी, आमजनों के आवागमन पर होने वाले व्यवधान इत्यादि।
10. बन्दोवस्ती स्थल के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के विवाद अथवा दुर्घटना के लिये बन्दोवस्तधारी स्वयं जिम्मेवार होगा।
11. शौचालय में सुविधा शुल्क के रूप में प्रति व्यक्ति अधिकतम पांच रूपये वसूलने का अधिकार होगा।
12. शौचालय का रख-रखाव S B M के तहत साफ- सुथरा एवं अच्छी स्थिति में रखना होगा।
13. शौचालय प्रतिमाह बिजली विल/सफाई कर्मी का वेतन एवं अन्य सभी भुगतान बन्दोवस्तधारी को करना होगा।
14. शौचालय से प्राप्त आय से ही शौचालय के सभी खर्चों का व्यय एवं रख-रखाव करना होगा।
15. डाकवक्ता एक साथ सभी शौचालयों के लिये खुली डाक में भाग ले सकते हैं इसके लिये जमानत की राशि एक मुस्त डीडी के माध्यम से एक दिन पूर्व जमा करना होगा।

उपरोक्त सभी शर्तों का पालन करने वाले ही बन्दोवस्ती में भाग लेंगे।

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद चाईबासा।

ज्ञापांक.....1515.....दिनांक.....14/12/18

प्रतिलिपि:- पणन सचिव कृषि उत्पादन बाजार समिति/जिला लेखा पदाधिकारी/श्री नरेन्द्र कुमार सहायक अभियन्ता को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि दिनांक 26.12.18 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में बन्दोवस्ती निस्तार हेतु उपस्थित होने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि:- जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा को सूचनार्थ एवं इसे दैनिक समाचार पत्र में मुद्रित कराने की कृपा की जाय।

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद चाईबासा